राजस्व रेफरेन्स आवेदन पत्र/174/2011/सरकार बनाम हरचंदराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.12.2021	प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री बलवंतसिंह उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

तहसीलदार गुड़ामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी (मूल आवंटी) हरचंद को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा पादरड़ी के खसरा नंबर 367 में से रकबा 20 बीघा भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा पादरड़ी में अवस्थित भूमि खसरा नं. 367 रकबा 306–07 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय से गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आलौच्य आवंटन से सम्बन्धित विवादित भूमि संवत 2012 अर्थात सन् 1955 के प्रथम बंदोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी ने इस संबंध में कोई जाँच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड, कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थीगण में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। जहां तक अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अभिकथन कि प्रश्नगत भूमि मूल आवंटी से क्रय करने के बाद लम्बी समयावधि से कब्जा काश्त की है तथा वक्त सैटलमेंट गलत रूप से नदी दर्ज हुई है यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं विक्रय के क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रैफर किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी (मूल आवंटी) को दिनांक 01.06.1968 को ग्राम पादरड़ी के खसरा नं. 367 रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया।

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.01.06 12:17:58 IST
Reason: SelfAttested